दैनिक जागरण - 18.05.2018

SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Raebareli Road, Lucknow - 226014

Phones : (0522) 2668004-8, 2668700-800-900 Fax: 0522-2668017, 2668078

NOTICE INVITING E-TENDER (NIT)

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS) has more than 1000 beds (and the number of beds are likely to be increased in future), Lucknow and invites e-tenders in two parts (Technical Bid and Financial Bid) for the following services of the Institute:

1. E-Tender for Patient Kitchen and Dietary Services.
2. E-Tender for 'Operation and Comprehensive Annual Maintenance of Medical Gas Plant and Central Pipe Line System.
3. E-Tender for Repairing of Furniture & Miscellaneous work
4. E-Tender for 'Operation of Operator Console & Maintenance of Telephone Cable Network'
5. E-Tender for 'Installation, Operation and Maintenance of DIGITAL T.V. SIGNAL NETWORK
6. E-Tender for Horticulture Maintenance Services.
7. E-tender for Allotment of Shops at Community Centre of the Institute on Rent Basis.

E-tender in this regard shall be available on the website **www.etender.up.nic.in** from **19-05-2018 to 08-06-2018**. In addition, this shall also be available for information only on the website of the institute '**www.sgpgi.ac.in**'.

Adv. No.: I/06/Contract/2018-19 **DIRECTOR**

18.5.18

Phones: - (0522) 2494008, 2494095.
Fax: - (0522) 2668017,2668078,2668129
संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences,
Rae-Bareli Road,Lucknow-226014

ई–निविदा सूचना

संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर स्थित सामुदायिक केन्द्र की विभिन्न क्षेत्रफल की दुकानों/स्थानों हेतु चिन्हित वरीयता वाले व्यवसाय – (1) सब्जी/फल, (2)ब्यूटी पार्लर, (3) लॉन्ड्रीं (4)इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रिल उपकरणों की रिपेरिंग (5) मोबाईल रिचार्ज(6) बेकरी एवं (7) मेन्स टेलर एवं (8) लेडिस टेलर एवं (9) कोरियर सर्विस प्रतिबन्धित व्यवसाय (सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान–मसाला शराब का ठेका, मॉस–मछली काटने का कार्य एवं अन्य मादक पदार्थ इत्यादि का क्रय विक्रय) आदि को छोडकर मासिक लाईसेन्स शुल्क के आधार पर लाईसेन्स/दुकान आवंटित किये जाने हेतु व्यक्ति/फर्म अथवा कम्पनी/सोसायटी से ई–निविदाएं दो भागों (तकनीकी निविदा–भाग "क" एवं वित्तीय भाग–"ख") में आमंत्रित की जाती है । चिन्हित वरीयता वाले 9 व्यवसाय में से किसी व्यवसाय हेतु निविदा न प्राप्त होने की दशा में ही अन्य व्यवसाय हेतु निविदाओं पर विचार किया जायेगा ।

इस संबंध में ई–निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश शासन की बेवसाइट www.etender.up.nic.in पर दिनांक 19.05.2018 से 08.06.2018 तक उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त यह सूचना केवल संदर्भ हेतु संस्थान की बेवसाइट www.sgpgi.ac.in पर भी उपलब्ध होगी।

निदेशक

Sl. No. 7 of NIT/ADV No 1/06/Contract/2018-19

Phones: - (0522) 2494008, 2494095.
Fax: - (0522) 2668017,2668078,2668129

संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences,
Rae-Bareli Road,Lucknow-226014

ई–निविदा

संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर स्थित सामुदायिक केन्द्र की निम्नलिखित क्षेत्रफल की दुकानों/स्थानों हेतु चिन्हित वरीयता वाले व्यवसाय – (1) सब्जी/फल, (2)ब्यूटी पार्लर, (3) लॉन्ड्रीं (4)इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रिकल उपकरणों की रिपेरिंग (5) मोबाईल रिचार्ज (6) बेकरी एवं (7) मेन्स टेलर (8) लेडिस टेलर एवं (9) कोरियर सर्विस तथा प्रतिबन्धित व्यवसाय (सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान–मसाला शराब का ठेका, मॉस–मछली काटने का कार्य एवं अन्य मादक पदार्थ इत्यादि का कय विकय) आदि को छोडकर मासिक लाईसेन्स शुल्क के आधार पर लाईसेन्स/दुकान आवंटित किये जाने हेतु व्यक्ति/फर्म अथवा कम्पनी/सोसायटी से ई–निविदाएं दो भागों (तकनीकी निविदा–भाग "क" एवं वित्तीय भाग–"ख") में आमंत्रित की जाती है । चिन्हित वरीयता वाले 9 व्यवसाय में से किसी व्यवसाय हेतु निविदा न प्राप्त होने की दशा में अन्य व्यवसाय हेतु निविदाओं पर भी विचार किया जायेगा ।

क0सं0	दुकान /स्थान का क्षेत्रफल	दुकान सं0	न्यूनतम किराया प्रतिमाह (रू0)	धरोहर धनराशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क (रू0) निविदा का मूल्य + GST 18%
1	06.75 वर्ग मीटर	01	2700.00	धरोहर धनराशि रू0 10500.00 एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 590 (जी0एस0टी0 सहित) ऑन लाईन RTGS के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार बैंक खाते में जमा की जायेगी। 1. खाता संख्या : 10095237355 2. खाताधारक का नाम : Director, SGPGI 3. बैंक का नाम एवं शाखा : State Bank of India, SGPGIMS Branch, Lucknow – 226 014 4. IFSC Code : SBIN0007789 5. MICR Code : 226002034
2	24 वर्ग मीटर	04	9500.00	
3	06.75 वर्ग मीटर	05	2700.00	
4	20 वर्ग मीटर	06	8000.00	
5	20 वर्ग मीटर	07	8000.00	
6	20 वर्ग मीटर	08	8000.00	
7	20 वर्ग मीटर	11	8000.00	
8	20 वर्ग मीटर	12	8000.00	
9	06.75 वर्ग मीटर	13	2700.00	
10	13.75 वर्ग मीटर	17	5500.00	
11	32.93 वर्ग मीटर	19	13000.00	
12	ई–निविदा–प्रपत्र वेबसाइट में उपलब्ध रहने की अवधि			19.05.2018 से 08.06.2018
13	ई–निविदाएँ अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि			09.06.2018(मध्यरात्रि)
14	तकनीकी बिड्स खोलने की तिथि/समय			12.06.2018 (पूर्वान्ह 11:00 बजे)

निदेशक

Phones: - (0522) 2494008, 2494095.
Fax: - (0522) 2668017,2668078,2668129
संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences,
Rae-Bareli Road,Lucknow-226014

नियम तथा शर्ते

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (जिसे एतदपश्चात् संस्थान कहा गया है) के परिसर में स्थित सामुदायिक केन्द्र में विभिन्न क्षेत्रफल की दुकानों में व्यवसाय के लिये निविदा प्रस्तुत करने हेतु सामान्य जानकारी एवं शर्तें।

1. निविदादाता द्वारा निविदा संलग्नक – भाग–"क" में अपने परिचय–पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि की सत्यापित छाया प्रति एवं घोषणा पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता द्वारा समस्त अभिलेखों जो निविदा के साथ अपलोड किये गये है उनकी एक अनुक्रमाणिका बनाई जायेगी जिसमें क्र0सं0, पेज का सार, पेज क्रमांक का विवरण उल्लिखित हो हस्ताक्षरित कर अपलोड करना होगा।
3. निविदादाता द्वारा अपलोड किये गये निविदा प्रपत्रों के समस्त पृष्ठों को हस्ताक्षरित किया जायेगा ऐसा न होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
4. निविदादाता को प्रत्येक क्षेत्रफल की दुकान हेतु अलग–अलग निविदा प्रेषित करना होगा।
5. निविदादाता को सलाह दी जाती है कि निविदा भरने से पूर्व सामुदायिक केन्द्र का भ्रमण व निरीक्षण कर लें।
6. निविदादाता व्यवसाय चुनने से पूर्व सामुदायिक केन्द्र स्थित अन्य दुकानों तथा चुने गये व्यवसाय की व्यापकता के सम्बन्ध में निरीक्षण करने के पश्चात् ही लाईसेन्स शुल्क की दरे प्रस्तावित करें।
7. निविदादाता प्रतिबन्धित व्यवसाय (सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान–मसाला एवं अन्य मादक पदार्थ इत्यादि का क्रय विक्रय शराब का ठेका, मॉस–मछली काटने का कार्य) को छोडकर अन्य किसी व्यवसाय हेतु निविदा भर सकता है।
8. **आवंटित की जाने वाली दुकानों का क्षेत्रफल एवं उसका न्यूनतम किराया विज्ञापन सूचना में अंकित कर दिया गया है उससे कम किराया स्वीकार नहीं किया जायेगा और अधिकतम लाइसेन्स फीस देने वाले निविदादाता के पक्ष में निविदा निर्णीत की जायेगी। निविदादाता को वित्तीय निविदा में उल्लिखित न्यूनतम राशि से अधिक की धनराशि भरनी है। सफल निविदादाता के साथ अनुबन्ध निविदा में अपलोड किये गये मूल अभिलेखों सहित धरोहर धनराशि जमा होने के उपरान्त निष्पादित किया जायेगा।**
9. निविदादाता को तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ रू0 10,500/–(रू0 दस हजार पाँच सौ मात्र) धरोहर धनराशि की ऑन–लाईन जमा की गयी रसीद की प्रति भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

   जो निविदादाता उक्त धनराशि जमा नहीं करेगा उसकी निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा। जिन निविदादाताओं की निविदा असफल हो जायेगी उन्हें केवल अर्नेस्ट मनी की धनराशि वापस कर दी जायेगी। निविदा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

Phones: - (0522) 2494008, 2494095.
Fax: - (0522) 2668017,2668078,2668129
संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences,
Rae-Bareli Road,Lucknow-226014

10. जिस निविदादाता की निविदा को स्वीकार कर लिया जायेगा उस निविदादाता को सुरक्षा धनराशि के रूप में रू0 25000/– (रू0 पच्चीस हजार मात्र) का एफ0डी0आर0, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैक द्वारा निर्गत एवं 72 माह के लिए वैध हो निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के नाम हो, निविदा स्वीकार होने से 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जिनकी निविदाएं अस्वीकार कर दी जायेगीं उन्हें निविदा निर्णीत होने के तीन माह के भीतर अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी।

11. व्यवसाय के लिए निर्धारित स्थल के अन्दर कोई स्थायी निर्माण करना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा। अस्थायी निर्माण जैसे कि स्टैण्ट इत्यादि बनाने का अधिकार सफल निविदादाता (जिसे एतद्पश्चात् लाइसेन्सी कहा गया है) को सक्षम अधिकारी की अनुमति के पश्चात् होगा।

12. चिन्हित/वरियता वाले व्यवसाय के आधार पर स्वीकृत निविदा की स्थिति में लाईसेंसी निर्धारित स्थल पर चिन्हित/आवेदित व्यापार के अलावा अन्य कोई व्यापार नहीं करेगा । अन्यथा की दशा में लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा ।

13. लाइसेन्स अनुबन्ध को निष्पादित करने से पूर्व लाईसेंसी को तीन महीने का लाइसेन्स शुल्क अग्रिम के रूप में संस्थान में जमा करना होगा जिसका समायोजन लाइसेन्स की अवधि की समाप्ति के अंतिम तीन माहों में किया जायेगा तथा प्रत्येक माह का लाइसेन्स शुल्क सम्बन्धित माह की सात तारीख के अंदर जमा करना होगा। विलम्ब की स्थिति में बकाया धनराशि पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज देय होगा।

    लाईसेंसी द्वारा अग्रिम लाईसेंस शुल्क एवं प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि तक जमा राशि की रसीद की छाया प्रति सम्पत्ति विभाग में जमा करेगा ।

14. लाइसेन्स शुल्क प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढाया जायेगा।

15. लाइसेन्स अनुबन्ध निष्पादित होने के पश्चात् ही दुकान का कब्जा लाइसेन्सी को दिया जायेगा।

16. दुकानों के लाइसेन्स की अवधि 05 वर्ष के लिए होगी जो प्रतिवर्ष कार्य एवं व्यवहार के आधार पर नवीनीकरण किया जायेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अनुबन्ध की नवीनीकरण सहित कुल अवधि 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उक्त 05 वर्ष की अवधि में किसी भी समय संस्थान अथवा व्यवसायी की ओर से अनुबन्ध तीन माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

17. संस्थान द्वारा अधिकृत अधिकारी को किसी भी समय दुकान का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

18. बिजली,पानी,सीवर,टेलीफोन इत्यादि के कनेक्शन लाइसेन्सी को अपने नाम व खर्चे पर सम्बन्धित विभाग से आवेदन कर प्राप्त करना होगा । संस्थान द्वारा प्रदत्त बिजली पानी आदि का निर्धारित दर से अग्रिम जमा राशि एवं प्रत्येक माह का शुल्क लाइसेन्सी संस्थान को लाइसेन्स शुल्क के अतिरिक्त भुगतान करेगा एवं भुगतान रसीद संबंधित विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायेगा । अन्यथा की दशा में संबंधित विभाग द्वारा बिना नोटिस सेवायें काट/रोक दी जायेगी । प्रदत्त

Phones: - (0522) 2494008, 2494095.
Fax: - (0522) 2668017,2668078,2668129
संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences,
Rae-Bareli Road,Lucknow-226014

सेवाओं हेतु सक्षम अधिकारी के पद एवं विभाग नाम निम्नानुसार है, जो कि अग्रिम जमा राशि निर्धारण, प्रत्येक माह का शुल्क निर्धारण, सुविधा प्रदान करने एवं बन्द करने हेतु सक्षम होंगे –

समक्ष अधिकारी के पद नाम	विभाग का नाम	सेवाओं का प्रकार
अधिशाषी अभियंता (विद्युत)	विद्युत अभियंत्रण विभाग	विद्युत आपूर्ति
अधिशाषी अभियंता (सिविल)	सिविल अभियंत्रण विभाग	पानी आपूर्ति एवं सीवर हेतु
अधिशाषी अभियंता (दूरभाष)	टेलीफोन एक्सचेंज	टेलीफोन हेतु

वांछित सेवायें अग्रिम राशि जमा करने के उपरान्त ही दी जायेंगी ।

19. सभी बरामदे, कारीडोर, जीने इत्यादि को ग्राहकों के प्रयोग हेतु पूरी तौर से खुला रखना होगा तथा उन पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बिना किसी नोटिस के हटाने का पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक का होगा और उसके हटाने का खर्चा निदेशक या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा अतिक्रमणकर्ता से वसूल किया जायेगा साथ ही साथ लाइसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

20. व्यापार स्थल अथवा अन्य किसी भाग/लाइसेन्स का किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

21. व्यापार स्थल के बाह्य भाग का रख–रखाव (सफाई) स्वयं लाईसेन्सी को करना होगा।

22. यदि व्यापार स्थल का रख–रखाव (सफाई) सही ढंग से नही हो रही है तब संस्थान को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं उसका रख–रखाव (सफाई) करे तथा रख–रखाव (सफाई) में होने वाले व्यय को लाईसेन्सी से वसूल करें । यदि उक्त भुगतान संस्थान में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नहीं किया जाता है तो इसकी वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी।

23. लाइसेन्सी एवं उसके कर्मियों को सरकार/नगर पालिका तथा संस्थान के स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधी नियमों का पालन करना होगा।

24. अगर लाइसेन्सी इन शर्तों के विपरीत कोई कार्य करता है अथवा कोई गैर कानूनी कार्य करता है या स्थल पर गैर कानूनी कार्यो को करने देता हैं तो संस्थान के निदेशक उनका लाईसेन्स निरस्त कर देगें तथा 03 तीन माह की जमा अग्रिम लाइसेन्स फीस जब्त कर ली जायेगी।

25. यदि लाईसेन्सी आवंटन–पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिन में व्यापार शुरू नहीं करता है तो उक्त लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा तथा यदि दुकान 01 महीने तक कभी भी बन्द पायी गयी तो लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा एवं दोनों स्थितियों में धरोहर राशि तथा तीन माह की जमा अग्रिम लाइसेन्स शुल्क जब्त कर ली जायेगी।

26. लाइसेन्सी एवं उसके अधीनस्थ कर्मियों को संस्थान के नियम एवं शर्तें मान्य होगी तथा संस्थान में प्रवेश के लिये 'पास' बनवाना अनिवार्य होगा।

27. लाइसेन्सी द्वारा अपने दुकान से वस्तुओं की बिक्री लखनऊ में बाजार भाव से अधिक मूल्य पर नहीं करेगा तथा अधिक मूल्य लेने पर उसका लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा। वस्तुओं की दर सूची सूचना पट पर प्रकाशित करनी होगी।

28. लाइसेन्सी को संस्थान द्वारा लाइसेन्स में दी गयी सभी शर्तों का पालन करना होगा किसी भी शर्त का पालन न करने पर संस्थान द्वारा सुनवाई का अवसर देकर लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है।

29. अगर लाइसेन्सी लाइसेन्स अवधि पूरी होने के पूर्व ही अपना लाइसेन्स रद्द कराना चाहता है या दुकान छोडना चाहता है तो उसे प्रस्तर–16 के अनुसार तीन माह पूर्व संस्थान को नोटिस देनी होगी एवं साथ में अदेयता प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

30. आवंटित दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का निर्माण करना संस्थान एवं लाइसेन्स नियमों के विरूद्ध होगा एवं ऐसा करने पर दुकान का लाइसेन्स बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

31. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण संस्थान के निदेशक द्वारा नामित समिति की संस्तुति पर निदेशक द्वारा निर्णीत किया जायेगा तथा पक्षों के असन्तुष्ट होने पर निदेशक द्वारा नामित आर्बीटेटर द्वारा संगत अधिनियम में निहित प्रक्रिया के अनुसार विवाद का निस्तारण किया जायेगा एवं उसका निर्णय दोनों पक्ष मानने को बाध्य होगें। आर्बीट्रेशन के दौरान फर्म/एजेन्सी/निविदाकार कोई वाद किसी भी माननीय न्यायालय में दायर नहीं कर सकता है। इस प्रकरण में विधिक क्षेत्र, लखनऊ जनपद ही होगा तथा भारत संघ के कानून प्रभावी होंगे।

32. संस्थान के निदेशक को सभी या किसी निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

33. निम्न कारणों से भी निविदा निरस्त की जा सकती है:–

(क) निविदा के साथ धरोहर धनराशि तथा निविदा शुल्क संलग्न न किया गया हो।

(ख) निविदा सशर्त हो।

(ग) निविदा प्रपत्र में दिए गए शर्तों के अनुसार निविदा न प्रस्तुत किया गया हो।

(घ) कोई तथ्य छिपाया गया हो, जिसकी जानकारी संस्थान को किसी भी समय हो जाए।

34. सभी प्रकार के कर (सर्विस टैक्स सहित) के भुगतान/देयता की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।

35. निविदादाता व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/सोसाइटी को रू0 10/– नान–जुडिसियल स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई अपराधिक केस और न ही कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है एवं न ही किसी न्यायालय द्वारा उसे दण्डित किया गया है।

Phones: - (0522) 2494008, 2494095.
Fax: - (0522) 2668017,2668078,2668129
संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences,
Rae-Bareli Road,Lucknow-226014

36. प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई किसी प्रकार की क्षति का वहन संस्थान द्वारा नहीं किया जायेगा।

37. किसी भी दुर्घटना के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति हेतु संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा, अपितु इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लाईसेन्सी का होगा।

38. **लाईसेंसी द्वारा** प्रतिबन्धित व्यवसाय संचालित करने एवं दुकान पर संस्थान प्रशासन द्वारा गठित समिति द्वारा प्रतिबंधित सामग्री पकड़े जाने पर तम्बाकू नियत्रण अध्यादेश एवं उ0प्र0 शासनादेश के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त मासिक लाईसेंस फीस के बराबर दण्ड राशि जमा करनी होगी । दण्ड राशि न जमा करने अथवा दो बार से अधिक शर्त का उल्लंघन करने पर लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

अन्य नियम एवं शर्तें:

1. फर्म/एजेन्सी/निविदाकार द्वारा नियमों एवं शर्तों से भलीभॉति अवगत होने के पश्चात् ही ऑनलाईन माध्यम से ई–निविदा/भाव पत्र भरा जाना अनिवार्य हैं।
2. फर्म/एजेन्सी/निविदाकार को संस्थान के नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा। यदि संस्थान की चल एवं अचल सम्पत्ति की किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त होती है तो उसका पूर्ण उततरदायित्व फर्म/एजेन्सी/निविदाकार का होगा एवं क्षति का आंकलन कर धनराशि की वसूली उसकी जमा धरोहर धनराशि से कर ली जायेगी।
3. आवेदित की गयी धनराशि को फर्म/एजेन्सी/निविदाकार द्वारा अंकों तथा शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा/भरना अनिवार्य होगा। अन्तर होने की दशा में शब्दों में अंकित धनराशि को अन्तिम माना जायेगा।
4. जी0एस0टी0 एवं अन्य कर, जो समय–2 पर लागू हों, नियमानुसार देय होंगे।
5. भाव–पत्र में अंकित धनराशि को फर्म/एजेन्सी/निविदाकार द्वारा अंकों तथा शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा/भरना अनिवार्य होगा। अन्तर होने की दशा में शब्दों में अंकित धनराशि को अन्तिम माना जायेगा।